उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-05/2019/04/92-2-2019-01(जॉच)/2019,
लखनऊ :: दिनांक:: 08 जनवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0/प्रखण्ड-इटावा में पैकेज संख्या-2278 में समाहित मार्ग-1 इटावा फरूखाबाद रोड से बासक रजवाहा वाया लोकपुर परौली रमाइन के निरीक्षण में पायी गयी कमियों, प्रावधानित क्वेरी की गिट्टी के स्थान पर भिन्न क्वेरी की गिट्टी प्रयुक्त करते हुए कार्य का भुग्तान करने, पी0एम0जी0एस0वाई0 के पैकेजेज हेतु यूनिट इटावा अंतर्गत अनुबंध के सापेक्ष बिलों से काटी गयी अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी न उपलब्ध कराने व माह मई, 2018 से अनबैलेन्स सिक्योरिटी अनाधिकृत रूप से अवमुक्त किये जाने, उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने एवं जनपद कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट उमर्दा में आवासीय भवनों का अवशेष निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके तकनीकी/वित्तीय मूल्यांकन हेतु गठित समिति मे नामित सदस्य के रूप में वित्तीय तुलनात्मक विवरण पर हस्ताक्षर न करने व निविदा प्रक्रिया मे सहयोग न करने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री एम0सी0 शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0/प्रखण्ड-इटावा को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल झांसी को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0/प्रखण्ड-इटावा को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जांच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जांच कार्यवाही पूर्णकर जांच आख्या (दो प्रतियों में) शासन को निर्धारित समयावधि मे उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-05/2019/04(1)/92-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 31.12.18 के संबंध में।
2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल झांसी **(संलग्नक सहित)**।
3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0/प्रखण्ड इटावा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- श्री एम0सी0 शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0/प्रखण्ड-इटावा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभि0 वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shas.nadesh.up.nic.in

http://shasanades .up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।